GCMS-2004/00016

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

उनवानी बजरंग सिंह बनाम सज्जन कंवर वगै0 मु.सं. 168/2004

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08/09/25 | | |

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में वादपत्र पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही हैं लेकिन ना तो प्रतिवादीगण का एव ना ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नही रहा हैं। वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज ही वादग्रस्त आराजी पर काश्त करते आये हैं एवं इन्ही का कब्जा काश्त चला आया है जिस बाबत प्रथम गिरदावरी से अंतिम गिरदावरी तक अंकन हैं। सिर्फ गलत खातेदारी अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होता हैं। अतः गिरदावरियों एवं कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की कृपा करें। वकील वादीगण की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी शुरू से ही प्रतिवादीगण के नाम रही हैं एवं वादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना-देना नही रहा हैं। वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण ही काश्त करते आये हैं। अतः खातेदार काश्तकार के खिलाफ घोषणा एवे स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किसी तरह से योग्य नही हैं। अतः वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जवाब वादपत्र, पेशशुदा मुख्य परिक्षण बाबत शपथ-पत्रों, बयान/जिरह एवं संलग्न दस्तावेजात यथा गिरदावरियां, जमाबन्दी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादीगण गिरदावरीयों एवं कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अपने नाम अंकित करवाना चाहते हैं।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की पूर्ण पीठ (Full Bench) के साल 2011 में जगदीश बनाम सीताराम में दिये गये निर्णय में कहा हैं कि **"Khatedari rights cannot be conferred on the basis of adverse possession."**

और इसी को आधार बनाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपील सं0 2016/894 उनवानी भगवान वगै0 बनाम प्रभुदयाल वगै0 निर्णय दिनांक 03.10.2018 में प्रकरण **adverse possession** का होने पर खारिज किया हैं।

जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में होने पर माननीय न्यायालय ने **S.B. Civil writ petition 4688/2019** उनवानी नारायण बनाम भगवान निर्णय दिनांक 04.08.2023 में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय को बरकरार रखते हुए अपील खारिज की हैं। माननीय न्यायालय ने कहा हैं कि **"Khasra girdawari is not a record of right and thus, possession of a person over the suit land according to khasra girdawari does not confer upon him any title."**

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्णयों के मध्य नजर वाद [illegible] **adverse possession** का पाया जाने पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:26:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)